भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *387
27 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्यान्न की बर्बादी और फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान

***387. श्री जिया उर रहमान:**
श्री छोटेलाल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि प्रत्येक वर्ष कुल कृषि उपज के एक बड़े हिस्से की हानि खाद्यान्न की बर्बादी और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के रूप में होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने और खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना में सुधार करने के लिए प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार यह मानती है कि किसानों की आय बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आवश्यक है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर हेतु "खाद्यान्न की बर्बादी और फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *387 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

(क): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सीआईपीएचईटी), 2015 और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नब्कोंस), 2022 द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, भारत में विभिन्न कृषि उपज की कटाई और कटाई उपरांत हानि का अनुमानित प्रतिशत निम्नानुसार है:

फसलें/ वस्तुएं	**अनुमानित प्रतिशत हानि**	
	आईसीएआर-सीफेट अध्ययन (2015) के अनुसार	**नब्कोंस अध्ययन (2022) के अनुसार**
अनाज	4.65 - 5.99	3.89-5.92
दालें	6.36 - 8.41	5.65-6.74
तिलहन	3.08 - 9.96	2.87-7.51
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.58-12.44	4.87-11.61
बागान फसलें और मसाले	1.18-7.89	1.29-7.33
दूध	0.92	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	5.23	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	10.52	8.76
मांस	2.71	2.34
मुर्गीपालन	6.74	5.63
अंडा	7.19	6.03

(ख)और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता के सृजन और विस्तार के लिए सहायता करता है, जिसमें खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और उच्च मूल्य संवर्धन सृजित करना, किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, बर्बादी को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना शामिल है। एमओएफपीआई के तहत योजनाएं इस प्रकार हैं:

i. केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई)
ii. केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना"
iii. केंद्रीय क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)

खाद्य विकिरण से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान और शेल्फ लाइफ बढ़ाने से खराब होने वाले कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करने में मदद मिलती है । खाद्य विकिरण इकाइयों को एकीकृत शीत श्रृखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत सहायता दी जाती है, जो पीएमकेएसवाई की एक घटक योजना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आज तक देश भर में बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए 16 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कुल ₹ 112.99 करोड़ की अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से ₹ 68.38 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) ने विभिन्न भागीदार संगठनों, खाद्य रिकवरी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों को एकीकृत करके भारत की खाद्य बर्बादी और भूख संकट को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य साझाकरण गठबंधन (आईएफ़एसए) का गठन किया है। आईएफ़एसए का उद्देश्य उत्पन्न होने वाले अधिशेष खाद्य की पुन: प्राप्ति, उत्पन्न होने वाली खाद्य बर्बादी की मात्रा को कम करना और ज़रूरतमंदों को दान किए जाने वाले सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की मात्रा को बढ़ाना है । एफ़एसएसएआई ने भारत में खाद्य दान अभियान को बढ़ावा देने और खाद्य हानि और बर्बादी को रोकने के लिए “खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य पुन: प्राप्ति और वितरण) विनियमन, 2019” तैयार किया ।

*****